बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–1–51/2020 2445 /पटना, दिनांक :– 18-12-2020

श्री संजीव कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया से तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2014 के आलोक में कार्य प्रमंडल, गया के पदस्थापन काल में टिकारी बेलागंज मार्ग पर पंचदेवता के पास मोरहर नदी पर पुल निर्माण में पायी गयी अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक 3376 अनु0 दिनांक 18.09.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 05.01.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1136 अनु0 दिनांक 01.06.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रत्नेश सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध तीन आरोप गठित किये गये। आरोप सं0–1 पुल निर्माण का कार्य वर्षो से यथावत रहने के बावजूद एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधित है। आरोप सं0–2 पुल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य की मापियों की समुचित जॉच नहीं किये जाने संबंधित है। आरोप सं0–3 जॉच दल को आवश्यक सहयोग नहीं किये जाने से संबंधित है।

4. अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1245 अनु0 दिनांक 30.01.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित सभी तीनों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप सं0–3 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए तथा अन्य दो आरोपों के संदर्भ में दिए गए मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1332 दिनांक 08.06.2018 द्वारा श्री कुमार से असहमति के निम्न बिन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः–

(i) श्री कुमार के विरूद्ध पहला आरोप पुल निर्माण कार्य वर्षो से यथावत रहने के बावजुद एकरारनामा की शर्तो के अनुरूप कार्रवाई नहीं किये जाने का है। संचालन पदाधिकारी का कहना है कि उक्त पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2008 तक कराया जा रहा था जबकि आरोपित पदाधिकारी दिनांक 16.02.2010 से 09.07.2013 तक कार्यरत थे। आरोपित पदाधिकारी के समक्ष दशमें चालू विपत्र भुगतान हेतु आया था, जिसका उनके द्वारा नियमानुसार कटौती करते हुए दिनांक 27.04.2012 को भुगतान किया गया।

उल्लेखनीय है कि पुल निर्माण का कार्य वर्षो तक यथावत रहने के बावजुद श्री कुमार द्वारा दशमें विपत्र का भुगतान किया गया तथा संवेदक के विरूद्ध एकरारनामा के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस बिन्दु पर श्री कुमार का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) श्री कुमार के विरूद्ध दुसरा आरोप पुल निर्माण कार्य कार्य की मापियों की समुचित जाँच नहीं करने का है। संचालन पदाधिकारी का कहना है कि आरोपित पदाधिकारी के समक्ष दशम चालू विपत्र उपस्थापित किया गया था। बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में आरोपित पदाधिकारी को चालू विपत्रों में प्रथम विपत्र से एक को छोड़ कर अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम के बाद ग्यारहवें विपत्र की जाँच किया जाना था।

उल्लेखनीय है कि जब पुल वर्षों से अर्धनिर्मित अवस्था में रहा तो श्री कुमार द्वारा मापीयों की समुचित जाँच की जानी थी, जो नहीं किया गया तथा श्री कुमार द्वारा दशमें चालू विपत्र का भुगतान कर दिया गया। अतः इस बिन्दु पर श्री कुमार का बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

6. श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 05.07.2018 विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें प्रथम आरोप के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि संबंधित संवेदक को कार्य को प्रगति में लाने हेतु स्मारित भी किया गया था। संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8843/2009 दायर किया गया था, जिसके आलोक में अधीक्षण अभियंता द्वारा एक सकारण आदेश भी पारित किया गया था। चूँकि संवेदक द्वारा संबंधित मामले को न्यायालय में उनके पदस्थापन से पूर्व ले जाया गया था, जिसके आलोक में अधीक्षण अभियंता द्वारा सकारण आदेश भी पारित किया गया था, जिसे संवेदक द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–3414/2011 द्वारा चुनौति दी गयी थी। चूकि मामला न्यायालय में था एवं उनका पदस्थापन भी उक्त प्रमंडल में दिनांक 16.02.2010 को हुआ था, तो ऐसी परिस्थिति में उनके उपर यह आरोप लगाना कि उनके द्वारा एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप कार्रवाई नहीं किया गया, सही नहीं है।

दूसरे आरोप के संदर्भ में अपने द्वितीय बचाव बयान में उल्लेख किया गया है कि उनके समक्ष कार्य के दशम चालू विपत्र का उपस्थापन किया गया था, जिसकी राशि 7,78,447/–रूपये थी। नियमों के आलोक में सहायक अभियंता को चालू विपत्रों में प्रथम विपत्र के बाद एक छोड़कर दूसरे विपत्र की जॉच की जानी है अर्थात प्रथम, तृतीय पंचम, सप्तम, नवम के बाद 11वें विपत्र की जॉच की जानी है। उनके समक्ष प्रस्तुत विपत्र दशम था, जिसकी जॉच उनके स्तर पर किया जाना था। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक 462 दिनांक 30.03.1982 की कंडिका–ग(विविध) के उप कंडिका–10 एवं लोक निर्माण विभागीय संहिता के आलोक में मापियों का समुचित जॉच नहीं किया जाना नियमों के आलोक में है।

7. विभाग द्वारा श्री कुमार के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा की गयी और समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार का उक्त आरोपों के बचाव में दिया गया तर्क मान्य नहीं है। भुगतान करने वाले अभियंता से यह अपेक्षा रहती है कि वह पूरी परियोजना की समीक्षा करें। बिना मापी के भुगतान करना और बंद कार्य के मामले में एकरारनामा विखंडन आदि की वैधानिक कार्रवाई नहीं करना कर्त्तव्यहीनता है। इस प्रकार श्री कुमार का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन में दो (02) निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. श्री कुमार के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1075 अनु0 दिनांक 09.06.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 1389 दिनांक 17.09.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री संजीव कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन में दो (02) निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/12/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2020 2446 /पटना, दिनांक :– 18-12-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

17/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2020 2446 /पटना, दिनांक :– 18-12-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2020 2446 /पटना, दिनांक :– 18-12-2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1389 दिनांक 17.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

17/12/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–51/2020 2448 /पटना, दिनांक :– 18-12-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/2020

अपर सचिव